Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The exact branch of Engineering shall be specified according to requirements at the time of each recruitment.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exits, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee, (for considering confirmation) consisting of: —** (i) Director, Central Soil and Materials Research Station — Chairman; (ii) Deputy Secretary/Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation — Member; (iii) Under Secretary, Central Soil and Materials Research Station — Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-12018/22/2018-E-II]

RATNAKAR YADAV, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 398.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (पद्धति विश्लेषक), भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में पद्धति विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (पद्धति विश्लेषक) भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

   उक्त पद पर नियुक्ति का पत्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पद्धति विश्लेषक	1* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56,100-177500/रु) में स्तर 10	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) कम्प्युटर अनुप्रयोगों में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (कम्प्युटर विज्ञान या सूचना	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रौद्योगिकी)में एम. एस. सी. या कम्प्युटर इंजीनीयरी या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर इंजीनीयरी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान और इंजीनीयरी या सूचना प्रौद्योगिकी में बी. ई. या बी. टेक.; (iii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वशासी निकाय या कानूनी निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रोग्रामिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का शैक्षिक पद अनुभव हो । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2** – अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनूसूचित जतियों और अनूसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हुए है; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ(7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण**: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष; 2. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य; 3. निदेशक या उपसचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय —सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-31011/07/2017-जीडब्ल्यूई]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 13th December, 2018

G.S.R. 398.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (System Analyst) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Analyst in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (System Analyst) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
System Analyst	1*(2018) *Subject to variation dependent on	General Central Service Group-'A', Gazetted, Non-ministerial.	Level-10 Rs.56,100-177500/-)	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants

	workload.				upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) from a recognised University or Institute; or (ii) B.E or B.Tech. in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute; (iii) three years' post qualification experience in Programming or Information technology in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	One year for direct recruit	By deputation (including short- term contract) failing which by direct recruitment

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Recognised University or Institute or Research Institution,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix in parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note: Period of deputation (Including short-term contract) including the period of deputation (Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of**: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Member, Central Ground Water Board – Member; 3. Director or Deputy Secretary , Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F.No. A-31011/07/2017-GWE]
S.K. KATARIA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.08 11:52:56 +05'30'

VPSC Ref. NO. 3/36(7)/2018-RR dt. 04.10.2018